प्रकरण संख्या 11/2024 अनवान हरीश कुमार बनाम अनिल कुमार वगैरा अ0धा0 136 एल आर एक्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

अनवान -

01- हरीश कुमार टाक पुत्र श्री रमेश टाक निवासी वीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

..........प्रार्थी.............

बनाम-

01- अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी 8 जी.एम. गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

02- कृष्ण लाल पुत्र श्री मुखराम निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

03- तुलसीराम पुत्र श्री रमेश कुमार निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

04- दलीप पुत्र श्री मुखराम निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

05- पूनम टाक पुत्र श्री रमेश कुमार निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

06- रमेश कुमार शाम्भु पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी बंगलानगर, बीकानेर तहसील एवं जिला बीकानेर राजस्थान।

07- सुनीता देवी पत्नि रमेश कुमार निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

08- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला राजस्थान सरकार अनूपगढ़ राजस्थान।

...........अप्रार्थीगण..........

उपस्थिति- 01. श्री ओम धायल, वकील प्रार्थी।
02. पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट)

निर्णय दिनांक - 9/12/24

राजस्व प्रकरण संख्या - 11/2024
(जी.सी.एम.एस.-2024/168)

::-निर्णय ::-

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि - प्रार्थी के नाम से तहसील श्री विजयनगर का चक गोमावाली बारानी का खाता संख्या 7 खसरा संख्या 120/44 का 6.0720 है. बारानी व खसरा नं. 160/44 का 6.5780 है. बारानी खातेदारी रकबा के [illegible] राजस्व रिकार्ड है जिसका प्रार्थी ही मालिक वा काबिज है। [illegible] लेकर जब बैंक में गया प्रार्थी को ऋण की आव[illegible] नाम रमेश कुमार दर्ज है तो बैंक वालों ने बताया [illegible] सही करवाकर लाईये। जबकि अन्य दस्तावेजो में रमेश टाक दर्ज है [illegible] कर्मचारियों के द्वारा गोमावाली के उक्त रकबा का इन्तकाल दर्ज करते समय राज[illegible] जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का [illegible] खाता संख्या 7 के रकबा के राजस्व रिकार्ड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कुमार सहवन से अंकित कर दिया है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम रमेश टाक है। तथा प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, चक 9 जी.एम. के खाता संख्या 151 प. नं. 182/24 मु.नं. 44 किला नं. 8/1, 9, 10, 13, 14/1, 15/2 का 1.355 है. कमाण्ड रकबा के राजस्व रिकार्ड व अन्य सभी रिकार्ड एवं दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम रमेश टाक ही दर्ज है।

प्रार्थी के पिता का सही नाम रमेश टाक ही है जबकि गोमावाली बारानी के खाता संख्या 7 में सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम रमेश कुमार दर्ज हो गया है जिसको सही किया जाना उचित है।

प्रार्थी के पिता का नाम गोमावाली बारानी के खाता संख्या 7 के राजस्व रिकार्ड में सहवन से रमेश कुमार गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को भारी परेशानी हो रही है एवं कृषि भूमि से सम्बन्धित सरकारी लाभ प्राप्त नहीं हो रहे है। प्रार्थी सभी सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 में पेश कर निवेदन है कि मुझ प्रार्थी के पिता का नाम तहसील श्री विजयनगर का चक गोमावाली बारानी का खाता संख्या 7 खसरा संख्या 120/44 का 6.0720 है. बारानी व खसरा नं. 160/44 का 6.5780 है, बारानी खातेदारी रकबा के राजस्व रिकार्ड में रमेश कुमार के स्थान पर रमेश टाक दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 07 बाद विधिवत् नोटिस तामिल उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस मे प्रार्थी का नाम हरीश कुमार टाक पुत्र श्री रमेश टाक अकिंत है। चक 9 जीएम तहसील श्रीविजयनगर के मु0न0 44 प0न0 182/24 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भी प्रार्थी का नाम हरीश कुमार टाक पुत्र श्री रमेश टाक दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::-क्रियान्वयन आदेश ::-

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक गोमावाली बारानी के खाता संख्या 7 खसरा संख्या 120/44 का 6.0720 हैक्टर बारानी व खसरा नं. 160/44 का 6.5780 है. बारानी खातेदारी रकबा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरीश कुमार टाक पुत्र श्री रमेश कुमार के स्थान पर हरीश कुमार टाक पुत्र श्री रमेश टाक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आदिनांक ......9.12.24...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीविजयनगर।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner